सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग

एन सी
एस सी एण्ड एस टी

पांचवी रिपोर्ट
1998-99
खंड - I

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES

सत्यमेव जयते

दिलीप सिंह भूरिया
अध्यक्ष
DILEEP SINGH BHURIA
CHIARMAN

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
5th FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Tel. : Off. : 4632298, 4620435
Res. : 3715460

26 फरवरी, 2001

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अब तक चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनका संबंध 1997-98 तक की अवधि से था। पहले की तरह, इस रिपोर्ट में भी आयोग ने भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना की कार्य नीतियों, संविधान और विभिन्न अन्य कानूनों के अंतर्गत इन जातियों के लिए जिन सुरक्षापायों की व्यवस्था की गई है और जो सुरक्षा प्रदान की गई है उनके कार्यान्वयन का और सेवाओं में तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सरकारी नीति से उन्हें हुए लाभों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, इन समुदायों को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता और उनकी आर्थिक स्थिति पर गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के प्रभाव का जायज़ा लेने की भी कोशिश की गई है।

हाल के वर्षों में, सरकार ने अपने कार्यक्रमों को केवल कल्याण-उन्मुख क्रियाकलापों तक सीमित रखने की बजाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए अपनी कार्यनीति में बदलाव लाने का प्रयत्न किया है। संविधान के 73वें संशोधन के जरिए, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का उपबन्ध किया गया है। वर्ष 1997 में, कल्याण मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया था। 1999 में, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया था। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के द्वारा संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को भी पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है और अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी घनिष्ठ भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं और विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस रिपोर्ट में इन उपायों के इस प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है कि ये समुदाय अपनी सामाजिक असमर्थताओं पर काबू पाने और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने में कहां तक सफल हो पाए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों और संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत उनके लिए उपबन्धित अन्य उपायों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन से हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दों को निपटाने

में गम्भीरता और निष्ठा का अभाव है। विभिन्न कानूनी और नीतिगत उपायों को इन जातियों के खिलाफ समाज में व्याप्त गहरे पूर्वाग्रहों को कम करने में किसी खास हद तक सफलता नहीं मिली है। केवल सरकारी कार्यक्रमों से, जिनका संबंध मुख्यतः आर्थिक विकास से होता है, इन समुदायों की सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने और उन्हें समाज के अन्य समुदायों की तरह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के योग्य बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन समुदायों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें बेहतर अवसर मुहैया करने के लिए समाज, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों को पहले से अधिक मात्रा में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के मौजूदा कार्यकरण और कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि अनुसूचित जनजातियों की बेहतर सुरक्षा और उनके लिए अधिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। जनता की मांगों के अनुसार और अधिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए राज्यपालों की एक समिति गठित करने के रूप में जो पहल की गई है, वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। हम सच्चे मन से आशा करते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के उपाय करने के राष्ट्र को मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।

सादर सहित

(दिलीप सिंह भूरिया)

श्री के.आर.नारायण

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां युगों-युगों से सामाजिक असमर्थताओं और आर्थिक असुविधाओं से उत्पीड़ित रही हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की नीति के जरिए उन्हें शासन में उनका न्यायोचित हिस्सा देकर, शोषण के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था करके और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने के लिए ज्यादा और विशिष्ट वित्तीय आबंटन करके उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के योग्य बनाने के लिए संविधान में विशेष उपबंध करना जरूरी समझा था। विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के जरिए विकास में उनका सुनीतिसंगत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यनीतियां अपनाई गई थीं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक सेवाओं और आर्थिक विकास के अवसरों के संबंध में वे अन्य समुदायों की तुलना में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अस्पृश्यता की प्रथा अभी भी व्यापक रूप से फैली हुई है, हालांकि इसकी उग्रता कम हो गई है। अपने अधिकारों के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता और अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए उनकी बढ़ती हुई इच्छा शक्ति के कारण अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के बीच जातिगत झगड़ों में वृद्धि हो रही है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन झगड़ों के कारण अक्सर नुक्सान उठाना पड़ता है।

विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों का आबंटन कम से कम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किए जाने और उनके आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट आवश्यकता आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना आयोग द्वारा विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना तैयार किए जाने के बारे में विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन यह देख कर दुख होता है कि इन कार्यनीतियों को शुरू करने के दो दशकों के बाद भी, केन्द्रीय मंत्रालयों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। राज्य सरकारें, निस्सन्देह, एस.सी.पी. और टी.एस.पी. तैयार करती हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ कर, आबंटन निर्धारित अनुपात से अक्सर कम होते हैं और आबंटित की गई इन अपर्याप्त राशियों का उपयोग भी आम तौर पर अन्य प्रयोजनों के लिए कर लिया जाता है। इस व्यपवर्तन को कम करने के लिए महाराष्ट्र के माडल को अपनाने के लिए बार-बार किए गए अनुरोध को भी सीमित सफलता ही प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षा का स्तर अन्य समुदायों की तुलना में बहुत नीचा बना हुआ है। 1991 में देश की पुरूषों और महिलाओं की 64 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की साक्षरता दरों की तुलना में, अनुसूचित जातियों की तदनुरूपी दरें 50 और 24 और अनुसूचित जनजातियों

के मामले में क्रमशः 41 और 18 थीं। इन समुदायों के लिए उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का स्तर सचमुच बहुत घटिया है। उनका साक्षरता का निम्न स्तर और शिक्षा की घटिया किस्म, आरक्षण की प्रणाली के बावजूद, सेवाओं में और विशेष रूप से सेवाओं के उच्च स्तरों पर उनका प्रतिनिधत्व कम होने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। 1-1-1998 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में समूह क और ख की सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, 15 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात की तुलना में, क्रमशः 10.38 प्रतिशत और 11.73 प्रतिशत था। सेवाओं के सभी समूहों में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और भी खराब है। 1-1-98 को समूह क में उनका प्रतिनिधित्व 3.21 प्रतिशत और समूह ख में 2.68 प्रतिशत था, जबकि उनके लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में उनका प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत से कम और उच्च न्यायपालिका में नगण्य है। इन समुदायों के साक्षरता के स्तर के नीचा होने और शिक्षा की घटिया किस्म शिक्षा के अलावा, आरक्षण की नीति का कोई सांविधिक आधार न होना भी, सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के कम होने का एक अतिरिक्त कारण है, क्योंकि कार्यकारी अनुदेशों के उल्लंघन पर अक्सर कोई दंड नहीं मिलता।

गरीबी कम करने के विभिन्न कार्यक्रमों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की विशेष कार्यनीतियों के बावजूद, इनकी गरीबी कम नहीं हो रही। वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के 50.07 प्रतिशत परिवार और अनुसूचित जातियों के 49.04 परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे, जबकि अन्य समुदायों के 32.96 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे। वर्ष 1987-88 में सभी गरीब परिवारों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 14.62 प्रतिशत था, जो मामूली सा कम होकर 1993-94 में 14.4 प्रतिशत हो गया। लेकिन अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों का अनुपात इसी अवधि में 24.72 प्रतिशत से बढ़ कर 28.24 प्रतिशत हो गया। भूमि सुधारों के विभिन्न कार्यक्रमों से लाभान्वित होने की बजाय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग वास्तव में अपनी अत्यल्प जोत की भूमियों पर से अपना नियंत्रण खो रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के काश्तकारों की प्रतिशतता, जो 1961 में क्रमशः 37.76 और 68.18 थी, कम हो कर 1991 में क्रमशः 25.44 और 54.50 रह गई।

हालांकि पी.सी.आर अधिनियम और एस.सी और एस.टी. (पी.ओ.ए.) अधिनियम के तहत पंजीयित मामलों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कारण इन समुदायों के प्रति अत्याचार की घटनाओं में वास्तविक कमी होने की बजाय, पी.ओ.ए. अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों की अनिच्छा प्रतीत होती है। इन अधिनियमों में अत्याचारों को कम करने और अपराधियों से जवाब तलब करने के विस्तृत तंत्र का उपबन्ध किया गया है। लेकिन यह देखा गया है कि मामलों को दर्ज करने में आनाकानी करने के अलावा, मामलों की तफतीश करने में देर की

जाती है, अपराधियों के साथ सांठ-गांठ होती है, गवाहों और गवाही को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में न्याय प्रदान करने की समूची प्रणाली पर एक नई नजर डाली जाए, ताकि अस्पृश्यता के निवारण और इन समुदायों के शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक विकास के लिए संवैधानिक और नीतिगत ढांचे और संस्थात्मक तंत्र की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन उनके कार्यान्वयन के तरीके में सुधार लाने की बहुत गुंजाइश है। हालांकि विभिन्न स्तरों पर योजना बनाने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने का उपबन्ध है, लेकिन वह इतना कारगर प्रतीत नहीं होता। अतः, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को और उन व्यक्तियों को, जिन्हें उनके विकास की जिम्मेदारी गई है, उपयुक्त प्रशिक्षण देने और स्थिति अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, ताकि योजना बनाने और नीति निर्माण करने में उनकी भागीदारिता को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके। विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारना और इसके अलावा यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उनके विकास के लिए नियत की जाने वाली धनराशियों में वृद्धि की जाए, ताकि वे समाज के अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें।

(श्री दिलीप सिंह भूरिया)
अध्यक्ष

(कामेश्वर पासवान)
उपाध्यक्ष

(वेन. लामा लोबज़ाग)
सदस्य

(हरिन्दर सिंह खालसा)
सदस्य

(छोत्रे माझी)
सदस्य

(श्रीमती वीना नय्यर)
सदस्य

(सी. चेल्लप्पन)
सदस्य

कार्यकारी सारांश

अध्याय-1

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का परिचय-भारत के संविधान के अंतर्गत उसकी स्थापना और उसे सौंपे गए कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।

अध्याय-2

- उन विभिन्न मुद्दों की रूपरेखा, जिन पर रिपोर्ट में चर्चा की गई है।

अध्याय-3

- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षापायों के संबंध में संविधान के विभिन्न उपबन्ध ; सुरक्षात्मक और शोषण-विरोधी विधान ; और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विधिक उपबन्ध।

अध्याय-4

- संविधान के 73 वें संशोधन के जरिए विकेन्द्रीकृत शासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के जरिए क्षेत्रों तक इसके विस्तार और पंचायती राज के तीन स्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों, और इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के पूरे प्रभाव का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और स्थिति अनुकूलन पाठ्यक्रमों के जरिए क्षमता-निर्माण की आवश्यकता है।
- पारम्परिक आधिपत्य वाले समूहों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

अध्याय-5

- अनु.जा/अनु.जनजाति की बस्तयों में पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, आवास, सड़कों जैसी न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करने की जरूरत है।
- अनु.जा./अनु.जनजाति की अधिसंख्या वाले पिछड़े क्षेत्रों में पोषाहार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- स्कूलों में अध्यापकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों में डाक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।
- इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए व्यय का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।

अध्याय-6

- अनुमान है कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कुल परिवारों में से लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, और समाज के गरीब तबके में भी वे सबसे अधिक गरीब हिस्सा हैं, जिसका पता इस बात से लगता है कि अन्य वर्गों के गरीब लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति व्यय नीचा है। केन्द्र के हिस्से में कमी किए जाने, केन्द्रीय सरकार द्वारा किस्तें रिलीज करने में विलम्ब और पूरी धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण, अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विभिन्न स्कीमों के जरिए मजदूरी रोजगार प्रदान करने के प्रयास धीमें पड़ गए हैं। इन स्कीमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित कवरेज के बारे में मार्ग-निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें और केंद्रीय मंत्रालय, दोनों एस.सी.पी/टी.एस.पी. के अंतर्गत कम धनराशियां नियत कर रहे हैं, और इसके अलावा इन धनराशियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए कर लिया जाता है। एस.सी.पी और टी.एस.पी के अंतर्गत परिव्यय को बढ़ाने, मानीटरिंग के तंत्र को सुदृढ़ बनाने और नियत की राशियों का पूरा उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-7

- केन्द्रीय सरकार के विभागों और सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंचा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 31-1-97, 2-7-97, 22-7-97, 13-8-97 और 2-8-97 को जो कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे, उनका आरक्षण की नीति को उलटने वाला प्रभाव पड़ा। संसद द्वारा एक ऐसा अधिनियम पारित किए जाने की जरूरत है, जिसमें शिक्षा संस्थाओं और सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
- अनु0 जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचत जनजाति के संघों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- झूठे जाति प्रमाण पत्रों की समस्या निरन्तर गंभीर रूप धारणा करती जा रही है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अधिक सतर्कता बरते जाने और नियोजनों द्वारा इस समस्या पर काबू पाए जाने की जरूरत है।

अध्याय-8

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 द्वारा सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का वांछित प्रभाव नहीं पड़ सका है। आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में पी.ओ.ए. अधिनियम के कार्यान्वयन और मध्य प्रदेश में विशेष न्यायालयों के कार्यचालन के बारे में में किए गए दो अध्ययनों से इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है। इसका हल यह है कि पुलिस प्रशासन और जन साधारण में इन सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी पैदा की जाए और दंडात्मक और सुरक्षात्मक उपायों का और उत्पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की कड़ाई से मानीटरिंग की जाए।

अध्याय-9

- अधितर राज्यों में जनजातीय उप योजना की कार्य नीति और उसका कार्यान्वयन अपर्याप्त और सांकेतिक मात्र है। इसलिए जनजातियों के विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय विकास की एक व्यापक नीति तैयार करने की जरूरत है।
- जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक कार्मिक नीति तैयार करने की जरूरत है,

ताकि प्रोत्साहन की एक उपयुक्त प्रणाली के जरिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने को प्रोत्साहन दिया जा सके, जो निष्ठावान और मेहनती हों और जिन्हें जनजातीय लोगों के हितों के साथ सहानुभूति हो।

- कार्मिक नीति इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निचले स्तर के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, जैसे अध्यापकों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, वन और पुलिस कर्मचारियों को स्थानीय जनजातीय समुदायों में से ही लिया जाए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए मानदंडों में ढील दी जाए।
- भूमि संबंधी कानूनों को गम्भीरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए, जनजातियों को भूमि के अन्य संक्रमण से बचाया जा सके।
- वनों संबंधी कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि वनों में जनजातियों के वैध और पारम्परिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।
- आबकारी संबंधी नीति (एक्साइज़ पालिसी) को कारगर ढंग से अमल में लाने और जनजातियों की एल्कोहोलयुक्त पेयों के अतिशय प्रयोग की आदत छुड़ाने के उपाय शुरू किए जाने की जरूरत है।

अध्याय-10

- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बढ़ाने और संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यचालन में सुधार करने की सिफारिशें की गई हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्यपालिका द्वारा इनको अमल में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि एक समतापूर्ण समाज का निर्माण करने के हमारे संविधान के सपने को मूर्त्त रूप दिया जा सके।